प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

24-7-24 प्रार्थिया/द्वारा शरीर वकील प्रार्थिनी मुख्य
मुख्य कार्यालय मानवाधिकार मुख्य हुई। प्रार्थिया
द्वारा प्रार्थित पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद को
खारिज करवा लिया गया है। मूल वाद को
खारिज होने पश्चात इस प्रकरण को कोई
औचित्य शेष नहीं रह गया है। प्रार्थिनी द्वारा
को खारिज किया जाता है। प्रार्थिनी
दायर नया वाद का वाद कारण
पारिवारिक झगड़े से संबंधित है।

I. Bajpai
Advocate.

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:35:50 IST
Reason: SelfAttested